प्रेस नोट दिनांक 13.08.2026 जनपद प्रतापगढ

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा स्वयं को एण्टी करप्शन अधिकारी बताकर फर्जी आई0डी0 कार्ड एवं सील का प्रयोग करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, फर्जी एण्टी करप्शन ब्यूरो आई0डी0 कार्ड एवं सील के साथ 01 अभियुक्त धीरज कुमार गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों एवं फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर आमजन को भ्रमित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उक्त प्रभावी कार्यवाही की गई। दिनांक 13.08.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गाजी चौराहा पर एक व्यक्ति स्वयं को एण्टी करप्शन अधिकारी बताकर फर्जी पहचान पत्र एवं सील का प्रयोग कर रहा है तथा लोगों से धन उगाही एवं अधिकारियों पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति धीरज कुमार पुत्र श्याम लाल, निवासी घरहिया पोस्ट अमरगढ़, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष को हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद फर्जी एण्टी करप्शन ब्यूरो का आई0डी0 कार्ड, 01 अदद फर्जी एण्टी करप्शन ब्यूरो की सील, 01 अदद मोबाइल फोन एवं ₹390/- नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 489/2026, धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा की जा रही है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. धीरज कुमार पुत्र श्याम लाल, निवासी घरहिया पोस्ट अमरगढ़, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद फर्जी एण्टी करप्शन ब्यूरो का आई0डी0 कार्ड।
01 अदद फर्जी एण्टी करप्शन ब्यूरो की सील।
01 अदद मोबाइल फोन।
₹390/- नगद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह हे0का0 नासिर कमाल, का0 सूरज नाथ मौर्या एवं का0 नितेश प्रजापति, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

अख्तयारी कोटिला टोल प्लाजा प्रकरण में थाना हथिगवां पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, घटना से संबंधित 02 स्कॉर्पियो-एन वाहन बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 166/2026, धारा 281/109(1)/352/351(3) बीएनएस से संबंधित 02 अदद स्कॉर्पियो-एन वाहन बरामद किए गए हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.08.2026 को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत अख्तयारी कोटिला टोल प्लाजा पर वादी के कथनानुसार जेल में निरुद्ध अतीक अहमद के पुत्र उमर अहमद का काफिला लखनऊ से प्रयागराज की ओर जा रहा था। उक्त काफिले के पीछे आ रहे थार वाहन के चालक एवं सवार व्यक्तियों द्वारा स्वयं को काफिले में शामिल बताते हुए टोल टैक्स देने से इनकार किया गया तथा टोल कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज एवं धमकी देते हुए बैरियर तोड़कर कर्मचारी के ऊपर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके उपरान्त स्कॉर्पियो-एन वाहन के चालक एवं अन्य सवारों द्वारा भी टोल कर्मचारियों से गाली-गलौज, धमकी एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए बिना टोल दिए वाहन निकाल ले जाया गया। प्रकरण में थाना हथिगवां पर मु0अ0सं0 166/2026, धारा 281/109(1)/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

वाहनों की बरामदगी-

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों एवं मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वाहनों की तलाश के क्रम में दिनांक 13.08.2026 को 02 अदद स्कॉर्पियो-एन काले रंग की वाहन रजि0नं0 UP70GQ4834 एवं रजि0नं0 UP70GV2915 (बिना नंबर प्लेट) बरामद की गईं। प्रथम वाहन को बरौंधा अण्डरपास के पास परेवानारायणपुर मोड़, लखनऊ-प्रयागराज हाईवे की सर्विस लेन से तथा द्वितीय वाहन को थाना फाफामऊ क्षेत्रान्तर्गत रूदापुर मलाक हरहर, जनपद प्रयागराज से बरामद किया गया। दोनों वाहनों के चेसिस एवं इंजन नंबर का ई-चालान ऐप के माध्यम से सत्यापन किए जाने पर उनका पंजीकरण विवरण सही पाया गया। दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर थाना हथिगवां परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया है।

बरामद वाहनों का विवरण:

स्कॉर्पियो-एन काले रंग की, रजि0नं0 UP70GQ4834

स्कॉर्पियो-एन काले रंग की, रजि0नं0 UP70GV2915 (बिना नंबर प्लेट)

दोनों वाहनों को नियमानुसार पुलिस कब्जे में लेकर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया है। प्रकरण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रिन्स तिवारी मय हमराह उ0नि0 राधेश्याम सिंह, हे0का0 संग्राम सिंह एवं का0 अशेष कुमार, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़। साथ ही स्वाट टीम प्रतापगढ़ द्वारा भी वाहन बरामदगी में सहयोग किया गया।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा चोरी/लूट की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के आभूषण बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी निवासी ग्राम गोदलपट्टी, पोस्ट अमरगढ़, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना आसपुर देवसरा पर तहरीर दी गई कि दिनांक 02.08.2026 को वह अपने घर के दरवाजे पर बैठी थीं । उसी दौरान 03-04 अज्ञात व्यक्ति, जिन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे, घर के पीछे से घर में प्रवेश कर कमरे में रखी आलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने-चाँदी के कीमती जेवरात एवं कपड़े चोरी करने लगे। खटपट की आवाज सुनकर जब वादिनी कमरे में पहुँचीं, तो उक्त व्यक्तियों ने उन्हें धक्का देकर उनके हाथ-पैर बाँध दिए। किसी प्रकार वादिनी घर से बाहर निकलकर शोर मचाने लगीं। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुँचने लगे, जिन्हें आता देख उक्त अज्ञात व्यक्ति चोरी किए गए सामान के साथ मौके से भाग निकले। इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 208/26 धारा 331 (4)/309(4)/115 (2)/127 (2)/61(2)/3(5)/317 (2) BNS बनाम 03-04 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह हे0का0 पवन नायक, का0 अरविन्द यादव, का0 वीरेन्द्र यादव व कैलाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 208/26 धारा 331 (4)/309(4)/115 (2)/127 (2)/61(2)/3(5)/317 (2) BNS थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त अनिल कुमार वर्मा पुत्र राजाराम वर्मा उम्र करीब 30 वर्ष निग्रा0 डाही थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत से गौरामाफी से दाउदपुर की तरफ जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद पायल सफेद धातु का, 01 अदद सुईधागा कान का पीली धातु बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 02.08.2026 को अमरगढ़ स्थित वादिनी के घर में उसके साथी अजय कुमार वर्मा एवं डब्लू वर्मा तथा अन्य साथी द्वारा चोरी/लूट की घटना की गई थी। अभियुक्त के अनुसार उसने पूर्व में डब्लू वर्मा से मोबाइल पर वार्ता कर उक्त घर के संबंध में जानकारी

उपलब्ध कराई थी तथा घटना में उसके हिस्से में आए आभूषण उसके कब्जे से बरामद हुए, जिन्हें वह दूसरे जनपद में बेचने के लिए ले जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
1. अनिल कुमार वर्मा पुत्र राजाराम वर्मा, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी डाही, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:
उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह हे0का0 पवन नायक, का0 अरविन्द यादव, का0 वीरेन्द्र यादव एवं का0 कैलाश यादव, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज के उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह कां0 दशरथ पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी के दौरान मा0न्यायालय ACJM प्रतापगढ़ महोदय के द्वारा निर्गत सेशन केस नं0 1705401/2004 अ0सं0 102/2001 धारा 323/325/504 IPC थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त राम जस पुत्र राम सुन्दर उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के सामने से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
राम जस पुत्र राम सुन्दर उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह कां0 दशरथ पटेल थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा नाबालिग बालिकाओं को बहला-फुसलाकर भगाने के प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, नाबालिग बालिकाओं को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने के प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्त मंगल उर्फ भुल्लर एवं मोहम्मद सोहेल गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी ग्राम बड़ा भड़पुरवा मजरे मुस्तफाबाद, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ की तहरीर के आधार पर थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 153/2026, धारा 137(2)/87 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग में आरोप है कि नामजद अभियुक्तगण द्वारा वादी के परिवार की नाबालिग बालिकाओं को शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों एवं वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में थाना उदयपुर के उ0नि0 घनश्याम यादव मय हमराह हे0का0 विनोद कुमार एवं का0 आलोक जैसवारा द्वारा क्षेत्र में देखभाल, वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 153/2026, धारा 137(2)/87 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त मंगल उर्फ भुल्लर पुत्र शोभनाथ एवं मोहम्मद सोहेल पुत्र मोहम्मद इसरार, निवासीगण ग्राम बड़ा भड़पुरवा मजरे मुस्तफाबाद, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत मुस्तफाबाद-राहाटीकर मार्ग पर रांकी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. मंगल उर्फ भुल्लर पुत्र शोभनाथ, निवासी ग्राम बड़ा भड़पुरवा मजरे मुस्तफाबाद, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।
2. मोहम्मद सोहेल पुत्र मोहम्मद इसरार, निवासी ग्राम बड़ा भड़पुरवा मजरे मुस्तफाबाद, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग-
मु0अ0सं0 153/2026, धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 घनश्याम यादव मय हमराह हे0का0 विनोद कुमार एवं का0 आलोक जैसवारा, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्ता को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज के उ0नि0 रीतेश कुमार राय मय हमराह का0 उपेन्द्र सिंह, का0 नितेश कुमार, रि0का0 विद्यासागर साहनी, रि0का0 नितेश कुमार यादव, रि0का0 विकास यादव, म0का0 अजाला मिश्रा एवं म0का0 प्रियंका गुप्ता द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था,

जुर्म जरायम की रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान ग्राम मद्दपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ से 01 अभियुक्ता तारा देवी पत्नी राजेश कुमार, निवासी ग्राम मद्दपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 41 वर्ष को कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 130/2026, धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरामद अवैध कच्ची शराब को नियमानुसार सील कर मालखाने में दाखिल कराया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1. तारा देवी पत्नी राजेश कुमार, निवासी ग्राम मद्दपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 41 वर्ष।

बरामदगी-

कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रीतेश कुमार राय मय हमराह का0 उपेन्द्र सिंह, का0 नितेश कुमार, रि0का0 विद्यासागर साहनी, रि0का0 नितेश कुमार यादव, रि0का0 विकास यादव, म0का0 अजाला मिश्रा एवं म0का0 प्रियंका गुप्ता, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज के उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह कां0 दशरथ पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी के दौरान मा0न्यायालय ACJM प्रतापगढ़ महोदय के द्वारा निर्गत सेशन केस नं0 1705401/2004 अ0सं0 102/2001 धारा 323/325/504 IPC थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त राम जस पुत्र राम सुन्दर उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के सामने से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राम जस पुत्र राम सुन्दर उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह कां0 दशरथ पटेल थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

दहेज हत्या के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त को थाना लालगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, दहेज हत्या के प्रकरण में वांछित अभियुक्त सोनू को बंसतगंज चौराहे के पास से किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम ओरीपुर नौगीर (कलुआघाट), थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ ने अपनी पुत्री का विवाह दिनांक 20.08.2024 को सोनू पुत्र स्व0 पप्पू उर्फ अब्दुल मजीद निवासी गंगा बक्स का पुरवा मजरे जेवई, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ के साथ किया था। वादी के अनुसार विवाह के उपरान्त से ही पति सोनू, सास हसीना बानो, देवर मोनू एवं ननद द्वारा दहेज में ₹3,00,000/- की मांग को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित एवं मारपीट किया जाता था। दिनांक 02.08.2026 को उक्त लोगों द्वारा उसकी पुत्री के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई तथा बाद में पति द्वारा फोन पर पुत्री द्वारा जहर खाने की सूचना दी गई। पोस्टमार्टम के उपरान्त दिनांक 03.08.2026 को शव परिजनों को प्राप्त हुआ तथा दिनांक 04.08.2026 को अंतिम संस्कार किया गया, जिसके पूर्व शव पर चोटों के निशान पाए गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 302/2026, धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत 05 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह हे0का0 जाहिद हुसैन एवं का0 नितीश यादव द्वारा क्षेत्र में देखभाल एवं वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 302/2026, धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र स्व0 पप्पू उर्फ अब्दुल मजीद, निवासी ग्राम गंगा बक्स का पुरवा मजरे जेवई, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत बसंतगंज चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
1. सोनू पुत्र स्व0 पप्पू उर्फ अब्दुल मजीद, निवासी ग्राम गंगा बक्स का पुरवा मजरे जेवई, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:
उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह हे0का0 जाहिद हुसैन एवं का0 नितीश यादव, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़</u>

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग में वांछित अभियुक्त विनीत गौतम गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी महेशगंज श्री संदीप तिवारी के नेतृत्व में थाना महेशगंज के म0उ0नि0 वन्दना वर्मा मय हमराह का0 सुनील कुमार, का0 अनिल राजपूत, का0 अनिल कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना महेशगंज प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त विनीत गौतम पुत्र संजय गौतम निवासी ग्राम जगापुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत सेखौनी से मान्धाता के बीच नाले पर बने पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विनीत गौतम पुत्र संजय गौतम निवासी ग्राम जगापुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

म0उ0नि0 वन्दना वर्मा मय हमराह का0 सुनील कुमार, का0 अनिल राजपूत, का0 अनिल कुमार यादव , थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ</u>

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के प्रकरण में वांछित 01 बाल अपचारी को थाना संग्रामगढ़ पुलिस ने लिया पुलिस अभिरक्षा में।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के प्रकरण में वांछित 01 बाल अपचारी को उसके घर के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी निवासी ग्राम सराय छत्ता, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ की पुत्री कक्षा 10वीं की छात्रा थी। वादिनी के अनुसार पड़ोसी अहेम सरोज उर्फ अमन सरोज पुत्र अशोक सरोज द्वारा उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया तथा शादी का आश्वासन देकर बाद में विवाह से इनकार कर दिया गया। उक्त परिस्थितियों से क्षुब्ध होकर दिनांक 03.07.2026 को वादिनी की पुत्री द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा अहेम सरोज उर्फ अमन सरोज को घटना के लिए जिम्मेदार बताया गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना

संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 125/2026, धारा 108 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 मुन्ना सिंह यादव मय हमराह हे0का0 विजय कुमार राम द्वारा क्षेत्र में देखभाल एवं वांछित अभियुक्त/वारण्टी की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 125/2026, धारा 108 बीएनएस से संबंधित 01 वांछित बाल अपचारी को उसके घर के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारी को नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

बाल अपचारी का विवरण:
01 बाल अपचारी।

पुलिस टीम का विवरण:
उ0नि0 मुन्ना सिंह यादव मय हमराह हे0का0 विजय कुमार राम, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 अवैध देशी तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस के साथ 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मेराज गिरफ्तार

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पर जनपद प्रयागराज व जनपद प्रतापगढ़ में लूट, डकैती, मारपीट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट जैसे कुल 10 जघन्य अपराध पंजीकृत है-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में थाना देल्हूपुर के उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 मुकुन्द जी पाण्डेय, रि0आ0 घनश्याम तिवारी एवं रि0आ0 चुनमुन कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं क्षेत्र में भ्रमण के दौरान छितपालगढ़ नहर फाटक के पास पुरैला की तरफ जाने वाली रोड से 01 अभियुक्त मेराज पुत्र मो0 ग्यास, निवासी ग्राम कस्बा मान्धाता, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त मेराज के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर एवं 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। बरामदगी के संबंध में थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 128/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से मिली 01 अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर संख्या UP72BB7504 को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण: मेराज पुत्र मो0 ग्यास, निवासी ग्राम कस्बा मान्धाता, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 -93/2018 धारा 147/148/323/504/506/286 भादवि थाना मान्धाता प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 -307/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मान्धाता प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 -306/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मान्धाता प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 -308/2018 धारा 411/417/465/468/471 भादवि थाना मान्धाता प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 - 650/2018 धारा 394/411/506 भादवि थाना मउआइमा प्रयागराज।
6. मु0अ0सं0 -585/2018 धारा 394/120बी /411 भादवि थाना जेठवारा प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0 - 603/2021 धारा 392/411 भादवि थाना मउआइमा प्रयागराज।
8. मु0अ0सं0 - 1112/2018 धारा 392/411/506 भादवि थाना सोराव प्रयागराज।
9. मु0अ0सं0 - 325/2018 धारा 392/411 भादवि थाना बहरिया प्रयागराज।10. मु0अ0सं0 128/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण:
01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर
02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
01 अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर संख्या UP72BB7504 (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम: उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 मुकुन्द जी पाण्डेय, रि0आ0 घनश्याम तिवारी एवं रि0आ0 चुनमुन कुमार, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 भुवाल सिंह मय हमराह का0 आशीष गुप्ता द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान ऑन लाइन वारंटी ए.सी. जे. (जे.डी.) कोर्ट नं0 24 से सम्बन्धित एनबीडब्लू क्रिकेस न0 2557/2020 लालगंज /243/2019 धारा 354 बी भादवि थाना लालगंज प्रतापगढ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त सोनू उर्फ धनगू पुत्र किशोरी सरोज निवासी ग्राम पूरे पंडित तिलक राम मजरे ढिगंवस थाना लालगंज प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- सोनू उर्फ धनगू पुत्र किशोरी सरोज निवासी ग्राम पूरे पंडित तिलक राम मजरे ढिगंवस थाना लालगंज प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष।

पुलिस टीम- उ0नि0 भुवाल सिंह मय हमराह का0 आशीष गुप्ता थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।